संoसंo–7/जन स्वाo–8–01/2018– 110(7)@

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना
क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना
संबंधित सिविल सर्जन, (सूची संलग्ण)।

पटना, दिनांक :08-03-19

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–003 प्रशिक्षण–0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड–20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 18,70,854/– (अट्ठारह लाख सत्तर हजार आठ सौ चौवन रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–13(7)ब दिनांक–12.06.18, 39(7)ब दिनांक–01.10.18 एवं 73(7)ब दिनांक–28.12.18 के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल ₹ 18,70,854/– (अट्ठारह लाख सत्तर हजार आठ सौ चौवन) रूपये मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संo 2561 विo (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326विo दिनांक–2.04.2014 तथा 295विo दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–06–लोक स्वास्थ्य–003 प्रशिक्षण–0002 जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड 20-2210060030002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी ।

4. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना/ अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें ।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

6. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संस्थानों को कार्यरत बल के आधार पर वेतन /भत्ता भुगतान तथा अन्य मद के लिए नियमित व्यय हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे। उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

7. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

8. इस आवंटन से वेतन भुगतान के क्रम में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित स्थापना के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के पश्चात् ही स्वंय अपने वेतन की निकासी करेंगे ।

9. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे ।

D:\Bud 2018-19 Allot\kamal\Jan-Swasth 3.doc

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक–21.5.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.8.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

12. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

13. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर)

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 110(7)9 पटना, दिनांक : 08-03-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी–7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2018–19 में जन स्वास्थ्य संस्थापन विपत्र कोड संख्या–20–2210060030002

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	कार्यालय व्यय (13–01)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	कुल	अभ्युक्ति
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
1	क्षेत्रीय अपर निदेशक,पटना	80000	8800	16000	22000	4000	4200	135000	0	0	135000	114/31.1.19
2	सिविल सर्जन, भोजपुर	310000	37200	62000	0	15500	17300	442000	10000	8000	460000	207/16.1.19
3	सिविल सर्जन, दरभंगा	100000	11000	20000	0	5000	9000	145000	0	0	145000	373/4.2.19
	कुल योगः–	**490000**	**57000**	**98000**	**22000**	**24500**	**30500**	**722000**	**10000**	**8000**	**740000**	

(सात लाख चालीस हजार) रू0 मात्र

110(7)ए
08-03-19

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी–II

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	पोषाहार योजना	विसूचिका मैक्सीन प्रयोगशाला	कुल
1	वेतन (0002–01–01)	550000	0	550000
2	जीवन यापन भत्ता (0002–01–03)	55000	0	55000
3	मकान किराया भत्ता (0002–01–04)	137500	0	137500
4	परिवहन भत्ता (0002–01–05)	18000	0	18000
5	चिकित्सा भत्ता (0002–01–06)	22000	0	22000
6	अन्य भत्ता (0002–01–07)	27500	0	27500
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**810000**	**0**	**810000**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002–06–01)	0	35854	35854
8	कार्यालय व्यय (0002–13–01)	80000	0	80000
9	वर्दी / पोषाक (0002–13–06)	5000	0	5000
10	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002–21–01)	100000	0	100000
11	मशीने एवं उपस्कर (0002–52–01)	100000	0	100000
	कुल योगः–	**1095000**	**35854**	**1130854**

(ग्यारह लाख तीस हजार आठ सौ चौवन रूपये मात्र)

सरकार के विशेष सचिव

व्यय का सारांशः–

विवरणी – III

क्रमांक	कोड एवं संस्थान का नाम	विवरणी I	विवरणी II	कुल
1	वेतन (0002–01–01)	490000	550000	1040000
2	जीवन यापन भत्ता (0002–01–03)	57000	55000	112000
3	मकान किराया भत्ता (0002–01–04)	98000	137500	235500
4	परिवहन भत्ता (0002–01–05)	22000	18000	40000
5	चिकित्सा भत्ता (0002–01–06)	24500	22000	46500
6	अन्य भत्ता (0002–01–07)	30500	27500	58000
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**722000**	**810000**	**1532000**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002–06–01)	0	35854	35854
8	कार्यालय व्यय (0002–13–01)	10000	80000	90000
9	वर्दी / पोषाक (0002–13–06)	8000	5000	13000
10	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002–21–01)	0	100000	100000
11	मशीने एवं उपस्कर (0002–52–01)	0	100000	100000
	कुल योगः–	**740000**	**1130854**	**1870854**

(अट्ठारह लाख सत्तर हजार आठ सौ चौवन रूपये मात्र)

110(7)ब
08-03-19

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी —IV

उपबंध की स्थिति

क्रम	प्राथमिक इकाईयां	कुल उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	वेतन (0002–01–01)	108000000	96283000	1040000	97323000	10677000
2	जीवन यापन भत्ता (0002–01–03)	12000000	10189130	112000	10301130	1698870
3	मकान किराया भत्ता (0002–01–04)	22920000	21132000	235500	21367500	1552500
4	परिवहन भत्ता (0002–01–05)	2165000	1259000	40000	1299000	866000
5	चिकित्सा भत्ता (0002–01–06)	5412000	4397150	46500	4443650	968350
6	अन्य भत्ता (0002–01–07)	7160000	5324392	58000	5382392	1777608
	योग **20-2210.06.003.0002.01** वेतन	**157657000**	**138584672**	**1532000**	**140116672**	**17540328**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0002–06–01)	1000000	143470	35854	179324	820676
8	यात्रा व्यय (0002–11–01)	280000	120000	0	120000	160000
9	कार्यालय व्यय (0002–13–01)	500000	297000	90000	387000	113000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0002–13–02)	580000	200000	0	200000	380000
11	दूरभाष (0002–13–03)	12000	12000	0	12000	0
12	विद्युत प्रभार (0002–13–04)	1000000	1000000	0	1000000	0
13	विधि प्रभार (0002–13–05)	1000000	220000	0	220000	780000
14	वर्दी / पोषाक (0002–13–06)	100000	81000	13000	94000	6000
15	किराया महसूल एवं कर (0002–14–01)	108000	108000	0	108000	0
16	प्रशिक्षण व्यय (0002–20–03)	2500000	0	0	0	2500000
17	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0002–21–01)	500000	200000	100000	300000	200000
18	दवा भंडार (0002–21–02)	600000	0	0	0	600000
19	छात्रवृत्ति / वजीफा (0002–34–01)	26000	13000	0	13000	13000
20	मशीनें एवं उपस्कर (0002–52–01)	500000	170000	100000	270000	230000
	कुल योग:–	**166363000**	**141149142**	**1870854**	**143019996**	**23343004**

110(7)a
08-03-19

सरकार के विशेष सचिव